**राष्ट्रीय आवास बैंक**

राआबैंक(नदि)/डीआरएस/नीति सं. 49/2011-12
9 अप्रैल, 2012

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों को

महोदय,

**'लोन टू वैल्यू' (एलटीवी) अनुपात की गणना**

आवास वित्त कंपनी (राआबैंक) निर्देश, 2010 के अनुच्छेद 30 के अनुसार, आवास वित्त कंपनियों को टियर I और टियर II पूंजी का न्यूनतम पूंजी अनुपात रखना अपेक्षित होता है जो उसकी सकल जोखिम भार आस्तियों के बारह प्रतिशत से कम नहीं होगा। आस्तियों का जोखिम समंजन मूल्य ज्ञात करने के लिये प्रत्येक आस्ति/मद के मूल्य को संबंधित जोखिम भार से गुणा करना होता है। कुछ जोखिम भार व्यक्तियों को संस्वीकृत आवास ऋणों पर भी निर्धारित किये गए हैं जो एलटीवी अनुपात से सम्बद्ध होते हैं । इस परिप्रेक्ष्य में, आवास वित्त कंपनियों को सूचित किया जाता है कि खाते में कुल बकाया के साथ प्रतिशत के रूप में एलटीवी अनुपात की गणना करें (अर्थात "मूल राशि+प्रोदभूत ब्याज+ऋण से संबंधित अन्य प्रभार" बिना किसी नेटिंग के) और आवास वित्त कंपनी को बंधक रखी आवासीय सम्पत्ति के वसूलनीय मूल्य का निर्धारण करे।

कृपया पावती दें ।

भवदीय,

(आर.एस. गर्ग)
कार्यपालक निदेशक